सरकार / मोहरीदेवी - 04 / 2018

30/9/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट / राजकीय अधिवक्ता के.प्र.पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/10/24 को पेश हो	[illegible]
7/10/24	पत्रावली पेश। राजकीय अधिवक्ता की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पालनहार के कब्जे से मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अनुसार मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है व अपील खारिज की जाती है। 1/4 अपीलांट को नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिला मेरे उपलब्ध कराया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नकल के बाद तरतीब तकमिल दफ्तर हो।	[illegible]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर